

५२०२०१७/१८ -१

प्रश्न सं. [क. 66]

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-३०/२०-२/२०१७

भोपाल, दिनांक १३/२/२०१८

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल।

विषय:-प्रदेश में नये स्कूल खोलने / उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत।

-०-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-१२/२०-२/२००६ दिनांक 25.08.2006 को अधिकमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2018 के अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते हैं।

संलग्न-परिशिष्ट एक

१३/२/१८

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु. क्रमांक एफ 44-३०/२०-२/२०१८

भोपाल, दिनांक १३-२-२०१८

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
- 3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
- 4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

१३/२/१८

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

३/२०१८

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के
लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

- बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
- पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
- उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

- स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
- रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

- बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
- पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
- उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

- स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
- रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/- किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।

५२३
१३४/८

उप सचिव,
म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

3/2004

2